न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारीः— अंजु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 318 / 2016

1. गुमानी पत्नी स्व. पालाराम उम्र 65 साल
2. नागरमल पुत्र सुवाराम उम्र 67 साल
3. सुमित्रा पुत्री रामेश्वर उम्र 35 साल
4. सजना पुत्री रामेश्वर उम्र 33 साल
5. अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द उम्र 40 साल
6. नारायणी पत्नी सीताराम उम्र 64 साल
7. बिदामी पत्नी फूलचन्द उम्र 62 साल
8. पतासी पत्नी स्व. प्रभूदयाल उम्र 60 साल
9. सन्तोष पुत्र सूवालाल उम्र 58 साल
10. रामलाल पुत्र कालूराम उम्र 76 साल
11. शान्ति देवी पत्नीगाडाराम उम्र 70 साल
12. सन्तरा पत्नी कैलाश उम्र 55 साल
13. नाहरमल पुत्र मामराज उम्र 48 साल
14. भोमाराम पुत्र मामराज उम्र 46 साल
15. शीशराम पुत्र मामराज उम्र 38 साल
16. बचनाराम पुत्र गोदाराम उम्र 62 साल
17. बीरबल पुत्र गोदाराम उम्र 62 साल
18. सांवलराम पुत्र गोदाराम उम्र 55 साल
19. सत्यप्रकाश पुत्र गोदाराम उम्र 48 साल
20. नाथूराम पुत्र गणपत उम्र 56 साल
21. समस्त जाति बलाई निवासी मण्ढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र मॉगीलाल उम्र 65 साल जाति ब्राहमण निवासी कोटडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल उम्र 68 साल
3. शंकर पुत्र नारायण उम्र 73 साल
4. जति ब्राहमण निवासी गोरधनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
5. उप पंजियक नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री विमल कुमार मोदी एडवोकेट– प्रार्थीगण
श्री मनीराम जाखड़ एडवोकेट– अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक : 15.7.2019

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि पुराने भूमि ख.नं. 2006 रकबा 4.82 हे. ग्राम मण्ढोली तहसील नीमकाथाना में स्थित है। जिसके नवीन ख.नं. 671 रकबा 0.01 हे. 672 रकबा 0.01 हे. 673 रकबा 4.80 हे. किता 3 रकबा 4.82 हे. है।

प्रार्थीगण उक्त भूमि के बुजुर्गान सेटलमेन्ट के पूर्व से कदीम से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं उक्त भूमि में खड़े पेड़ों की कुदरती पैदावार को प्रार्थीगण उपयोग में लेते है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज काश्त है जिसके बाबत खसरा गिरदावरियों में सूवा पुत्र घड़सी, भूरा पुत्र लादू, मामराज पुत्र कालू के नाम दर्ज है, जिनका देहान्त हो गया। प्रार्थीगण की आजीविका का एक मात्र साधन उक्त कृषि भूमि है। अप्रार्थी नं. 1 ता 3 का उक्त भूमि से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, न है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के बुजुर्ग गणपत पुत्र बींजाराम, नारायण पुत्र सेडू ने अपने नाम गलत तौर से खातेदारी दर्ज कराने की कार्यवाही की, जबकि इनका उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा न इन्होंने काश्त की।

वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी मूलचन्द, नौरंगलाल, लिक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल, निहाली बेवा नांगीलाल, नारायण पुत्र सेडूराम के नाम दर्ज है। जिनमें नौरंगलाल, निहाली बेवा मांगीलाल, नारायण पुत्र सेडूराम कादेहान्त हो गया। नौरंगलाल निःसन्तान फौत हो गया। निहाली के वारिस अप्रार्थी नं. 1 व 2 व नारायण का वारिस अप्रार्थी नं. 3 है।

अप्रार्थीगण खातेदारी इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को विक्रय करने व प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थीगण 1 ता 3 को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को यह धमकी दी कि इस जमीनको बेचकर जबरन बेदखल करेगें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है।

प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजों की सूची के साथ ग्राम मण्ढोली के भूमि ख.नं. 671 से 673 रकबा 4.82 हे. की जमाबन्दी की फोटो प्रति, ख.नं. 2006 की जमाबंदी की फोटो प्रति, विवादित खसरा नम्बर की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 से 2016 की फोटो प्रति पेश की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

उक्त तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ । प्रार्थीगण एवं केवियट कर्ता को सुना जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जवाब प्रस्तुत करने तक जारी किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सुनवाई मय आदेश नोटिस विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी नं. 1 ता 3 मय अधिवक्ता के उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अप्रार्थी नं. 4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा मौका कमिश्नर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उभय पक्ष को सुना जाकर मौका कमिश्नर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। मौका कमिश्नर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई । मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि मौका कमिश्न मौके पर नहीं गया प्रतिवादी से मिल कर रिपोर्ट तैयार की गयी है। मेरे द्वारा उभय पक्ष को सुना गया तथा रिपोर्ट मौका कमिश्नर का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई आपत्ति खारिज की गयी ।

दौराने बहस विज्ञ अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुए तर्क दिया कि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का बुजुर्गान के समय से चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का विवादित भूमि से कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। सम्वत् 2013– 2016 की खसरा गिरदावरियों में बुजुर्गान की काश्त दर्ज है तथा भूमि माफी मन्दिर नृसिंह जी गोरधनपुरा के नाम से दर्ज है। गलत खातेदारी दर्ज होनें का फायदा उठाकर भूमि का बेचान करने पर आमादा है। खसरा गिरदावरियॉ हमारे पक्ष में है। प्रथम दृष्टवा केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे। न्यायिक दृष्टान्त में डब्ल्यू.एल. सी. 2015(3) राज. पेज 548 से 573 प्रस्तुत किया गया है।

दूसरी ओर विज्ञ अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क है कि विवादित भूमि के प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का चला आ रहा है। खसरा गिरदावरियों में बुजुर्गान का नाम आने से कोई खातेदार नहीं बनता । रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। मंदिर की जमीन नहीं है। वर्तमान में भी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण 12, 13, 14 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त तथा खातेदारी होना स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रथम दृष्टवा केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अधोपान्त अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को देखना होता है कि क्या प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टवा मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु बनते है अथवा नहीं । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में प्रत्येक बिन्दु पर मेरा विवेचन निम्नानुसार है :–

1.प्रथम दृष्टया मामला:–

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना पाये जाते है। कानूनन खातेदार अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने में स्वतंत्र होता है। प्रार्थीगण का यह तर्क कि अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से यह स्वीकार्य नहीं है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन रहा है कि यह भूमि माफी मन्दिर नृसिंह जी गोरधनपुरा के नाम से दर्ज है जिसका अंकन गिरदावरी में है। प्रार्थीगण यह प्रमाणित नहीं कर सके कि अप्रार्थीगण किस हैसियत से खातेदार हुए है। प्रस्तुत जमाबंदी से विवादित भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज होना पाई जाती है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र कुछ गिरदावरियों को लेकर कब्जा काश्त होने का अभिकथन से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होता है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है, प्रार्थीगण 12, 13, व 14 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार भी यह भूमि अप्रार्थीगण के आधिपत्य में होना पाई जाती है। प्रथम दृष्टया मामला देखने के लिए दावा दायरी के समय कब्जा देखना आवश्यक होता है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एवं रिपोर्ट मौका कमिश्नर से यह जाहिर होता है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में बतौर काश्तकार रिकार्डेड खातेदार है। राजस्व अभिलेख में अंतिम प्रविष्टियों पर विश्वास किया जाना न्यायोचित है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

2.सुविधा का सन्तुलनः–

जहां तक इस बिन्दु का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की दशा में प्रार्थीगण से अधिक असुविधा अप्रार्थीगण को होगी। क्योंकि अप्रार्थीगण वर्तमान में विवादित आराजी का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण मूल वाद में सफल हो जाते है, तो विवादित आराजी का स्वमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य होगा, परन्तु प्रकरण की इस स्टेज पर सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नीलकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

3.अपूरणीय क्षतिः–

जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है,प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की दशा में प्रार्थीगण को कोई विधिक हानि नहीं होकर किसी अपूरणीय क्षति के कारित होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार नहीं है। अप्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है भूमि उनके आधिपत्य में है। इस प्रकार प्रार्थीगण के बजाए अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की अधिक संभावना है। यह बिन्दु भी प्रार्थीगण प्रमाणित करने में असफल रहे है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त मंदिर मूर्ति, अव्यस्क खातेदार जागीर पुर्नग्रहण से संबंधित होने से हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात, न्यायिक दृष्टान्त तथा दोराने सुनवाई विद्ववान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क–वितर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के विन्दु साबित करने में असफल रहे है। फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 15.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner